

फा.सं. 17-2-2011-पीएन-1
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(पीएन-1) अनुभाग

नई दिल्ली, दिनांक: 4 मार्च, 2014

आदेश

विषय: राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार केन्द्र, मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) का गठन करने के संबंध में।

राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार केन्द्र, मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय नवाचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) गठित करने का निर्णय लिया गया है। परियोजना अनुमोदन बोर्ड की संरचना इस प्रकार होगी:

i.	सचिव (उच्चतर शिक्षा)	अध्यक्ष
ii.	प्रतिनिधि, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
iii.	प्रतिनिधि, औद्योगिक नीति और संवर्धन	सदस्य
iv.	प्रतिनिधि, दूर संचार विभाग	सदस्य
v.	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सदस्य
vi.	अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)	सदस्य
vii.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय नवाचार परिषद	सदस्य
viii.	सलाहकार, उच्चतर शिक्षा, योजना आयोग	सदस्य
ix.	संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
x.	निदेशक, एनआईडी	सदस्य
xi.	निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर	सदस्य
xii.	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	सदस्य
xiii.	निदेशक, योजना और वास्तु-कला स्कूल	सदस्य
xiv.	निदेशक, एनआईएफटी, दिल्ली	सदस्य
xv.	संयुक्त सचिव (नीति), उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य

2. परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

3. परियोजना अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-

- i. योजना के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों के परियोजना प्रस्तावों की जांच-पड़ताल करना और उन्हें संस्वीकृति प्रदान करना;
- ii. अगला अनुदान जारी करने के पूर्व परियोजना-प्रगति की समीक्षा करना;
- iii. योजना की समय प्रगति का मूल्यांकन करना;
- iv. संसाधनों का निर्विघ्न प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करना;
- v. मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय नवाचार डिजाइन नेटवर्क की रूपरेखा और कार्यान्वयन को अंतिम रूप प्रदान करना;
- vi. परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), बजट प्राक्कलनों के संबंध में मामला-दर-मामला आधार पर अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो अनुमोदित योजना के अनुसार सीमाओं के अध्यधीन होंगी।
- vii. पीएबी, योजना से संबंधित मामलों का निर्णय करने में, उस निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए, विशेषज्ञों की सहायता, जैसी उचित समझता है, प्राप्त कर सकता है।

4. परियोजना अनुमोदन बोर्ड के निर्णय सूचनार्थ माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के सम्मुख रखे जाएंगे।

5. गैर-सरकारी सदस्यों को केन्द्र सरकार के वर्तमान नियमों के अनुसार यात्रा/दैनिक भत्ता की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(अमित खरे)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फोन: 23071486

सेवा में,

1. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
2. सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
3. सचिव, दूर संचार विभाग
4. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
5. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
6. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय नवाचार परिषद, योजना भवन
7. सलाहकार, उच्चतर शिक्षा, योजना आयोग
8. संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
9. निदेशक, राष्ट्रीय अभिकल्पन संस्थान
10. निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर

11. निदेशक, आईआईटी, कानपुर
12. निदेशक, योजना और वास्तुशास्त्र स्कूल
13. निदेशक, एनआईएफटी, दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी ब्यूरो प्रमुख
2. मानव संसाधन विकास मंत्री के प्रधान निजी सचिव/मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (एसटी)/प्रधान निजी सचिव, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (जेपी) के प्रधान निजी सचिव
3. सचिव (उच्चतर शिक्षा) के प्रधान निजी सचिव

फा. सं. 17-2/2014-पीएन.।
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(नीति नॉर्मस-। अनुभाग)

शास्त्री भवन नई दिल्ली,
दिनांक: 19 दिसम्बर, 2014

आदेश

विषय:- डिजाइन नवाचार केंद्र, मुक्त डिजाइन स्कूल और डिजाइन नवाचार नेटवर्क की स्थापना के लिए राष्ट्रीय पहल के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) का पुनर्गठन-तत्संबंधी।

नीति प्रभाग के दिनांक 4 मार्च, 2014 के आदेश सं. 17-2/2011-पीएन-। के आंशिक संशोधन में डिजाइन नवाचार केंद्र, मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क की स्थापना के लिए राष्ट्रीय पहल के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की संरचना निम्नानुसार होगी:-

i) सचिव (उच्चतर शिक्षा)	अध्यक्ष
ii) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
iii) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
iv) संचार विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
v) अपर सचिव (टीई), उच्चतर शिक्षा विभाग, एमएचआरडी	सदस्य
vi) संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
vii) सलाहकार, उच्चतर शिक्षा, योजना आयोग	सदस्य
viii) अध्यक्ष, यूजीसी	सदस्य
ix) अध्यक्ष, एआईसीटीई	सदस्य
x) निदेशक, एनआईटी	सदस्य
xi) निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान ,बंगलौर	सदस्य
xii) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	सदस्य
xiii) श्री अरिंदम दास, निदेशक, योजना और वास्तु-कला स्कूल	सदस्य
xiv) निदेशक, एनआईएफटी, गांधीनगर	सदस्य
xv) संयुक्त सचिव (नीति), उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य सचिव

(संजीव शर्मा)
निदेशक (नीति)

परियोजना अनुमोदन बोर्ड
(पीएबी) के सभी सदस्य

फा. सं. 17-2/2014-पीएन.।
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(नीति नॉर्मस-। अनुभाग)

शास्त्री भवन नई दिल्ली,
दिनांक: 5 जनवरी, 2014

शुद्धिपत्र

विषय:- डिजाइन नवाचार केंद्र, मुक्त डिजाइन स्कूल और डिजाइन नवाचार नेटवर्क की स्थापना करने के लिए राष्ट्रीय पहल के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) का पुनर्गठन-तत्संबंधी।

कृपया नीति प्रभाग के दिनांक 19.12.2014 के आदेश का संदर्भ लें जो डिजाइन नवाचार केंद्र, मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क स्थापित करने की राष्ट्रीय पहल के तहत परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) के पुनर्गठन के संबंध में है। इसे निम्नानुसार संशोधित किया जाए।

क्र.सं. xiii) पर } श्री अरिंदम, निदेशक, योजना और वास्तु-कला स्कूल को निदेशक,
उल्लिखित सदस्य } योजना और वास्तु-कला स्कूल पढ़ा जाए।

क्र.सं. xiv) पर } निदेशक, एनआईएफटी, गांधीनगर को "श्री अरिन्दम दास, निदेशक,
उल्लिखित सदस्य } एनआईएफटी, गांधीनगर" पढ़ा जाए।

2. असुविधा के लिए खेद है।

(संजीव शर्मा)
निदेशक (नीति)
टेली. नं. 23381097

परियोजना अनुमोदन बोर्ड
(पीएबी) के सभी सदस्य